

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बेंगलूरु-560068

सं. केरेबो-1(1)/2017-18/बजट/लेखा

दिनांक : 12.06.2017

परिपत्र

विषय : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - 01.01.2016 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान केरेबो कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन - संशोधित वेतन व बकाया के भुगतान की तारीख के संबंध में ।

संदर्भ: के.का.पत्र सं केरेबो-63(125)/2016-स्था-II, दिनांक 11.05.2017

*-**-**

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं 25011/3/2017-रेशम दिनांक 9 मई, 2017 के माध्यम से 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन के लिए दिए गए अनुमोदन के फलस्वरूप, केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो, बेंगलूरु ने संशोधित वेतन - निर्धारण के लिए संदर्भाधीन पत्र के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किया था ।

इकाइयों द्वारा अपने कर्मचारियों का वेतन - निर्धारण, केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा सकता है । तथापि, संशोधित वेतन तथा तत्संबंधी बकाया के भुगतान की तिथि के लिए निधि प्राप्त होते ही अलग से सूचना दी जाएगी जिसके लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं । तब तक कृपया विद्यमान वेतन आहरित करना जारी रखें।

यह सख्त अनुपालनार्थ है ।

आर.सतीश कुमार
(आर.सतीश कुमार)
निदेशक(वित्त)

सेवा में,
सभी केरेबो इकाई

प्रतिलिपि:

1. स्थापना अनुभाग, केरेबो, बेंगलूरु
2. बिल अनुभाग, केरेबो, बेंगलूरु
3. कंप्यूटर अनुभाग, केरेबो, बेंगलूरु ।

No.CSB-1(1)/2017-18/Budget/Accts

Date: 12.06.2017

CIRCULAR


Sub: Implementation of the recommendation of the 7th CPC – Revision of Pay Scales of CSB employees on par with Central Govt. employees with effect from 01.1.2016 – Date of payment of revised pay and arrears - reg.

Ref: C.O. Letter No.CSB-63(125)/2016-ES.II, dated 11.05.2017

Consequent to the approval for implementation of 7th CPC recommendation by Ministry of Textiles, Govt. of India vide its letter No.25011/3/2017-Silk, dated 9th May, 2017, the Central Office, CSB, Bangalore had issued a guidelines vide letter under reference for fixation of revised pay.

The fixation of pay in accordance with the guidelines given by Central Office, Bangalore can be made by the units to its employees. However, for the date of payment of the revised pay and the arrears thereon, a separate communication will be sent on receipt of funds for which all the necessary efforts are being made. Till such time the existing pay may please be continued to be drawn.

This is for strict compliance.


(R.SATHISH KUMAR)
DIRECTOR(FINANCE)

To

All the CSB units

Copy to:

- 1) Establishment Section, CSB, Bangalore
- 2) Bill Section, CSB, Bangalore
- 3) Computer Section, CSB, Bangalore